



भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय/  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF DEFENCE  
रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
DEFENCE R&D ORGANISATION  
**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**

मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बंगलोर  
MARATHAHALLI COLONY P.O.  
BANGALORE - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं.851 का नवीकरण/Renewal of Type Approval No.851

विषय/Sub: पॉलिसिल-01 से बने रबड़ कम्पोनेंट्स - 11 तरह/  
**Rubber Components - 11 Types Made out of POLYSIL-01**


यह प्रमाणित किया जाता है कि पॉलिसिल-01(टीए सं.837) से बने तथा मेसर्स पॉलिमर एंटरप्राइज़, #ई-41, एम आई डी सी, सतपुर, नासिक-422 007 द्वारा विकसित तथा उत्पादित "रबड़ कम्पोनेंट्स - 11 तरह" परिशिष्ट 'ए' में दर्शाए जैसे को पत्र सं.सेमिलाक/5070/टीए-851 दिनांक 21 अप्रैल 1999 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं.851 जारी किया गया था और पत्र सं.सेमिलाक/5070/टीए-851आर दिनांक 24 अक्टूबर 2002 द्वारा 30 जून 2007 तक विस्तारित किया था।

*This is to certify that the "Rubber Components - 11 Types", as shown in Annexure "A" made out of POLYSIL-01 (T A No. 837), developed and manufactured by M/s Polymer Enterprises, # E-41, M.I.D.C Satpur Nasik - 422 007, has been issued with Type Approval No.851. vide letter No. CEMILAC/5070/TA-851 dated 21<sup>st</sup> April 1999 and was further renewed up to 30<sup>th</sup> June 2007 vide letter No. CEMILAC/5070/TA- 851R dated 24<sup>th</sup> October 2002.*

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का संतोषजनक निष्पादन फीड बैक के आधार पर नवीकरण किया जाता है तथा यह 30 जून 2012 तक वैध है। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए सभी संगत दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए(कोरापुट), द्वारा एचएएल कोरापुट प्रभाग, सूनाबेड़ा 763 002 से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र के अन्य सभी शर्तें वही रहेंगे।

*This is to certify that this Type Approval is hereby renewed based on the satisfactory performance feed back and is valid up to 30<sup>th</sup> June 2012. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA(Koraput), C/o HAL Koraput Division Sunabeda 763 002 three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents. All other conditions stipulated in the Type Approval letter remain unaltered.*

संलग्न/End : परिशिष्ट 'ए' /Appendix 'A'  
/No.:सेमिलाक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-851/2R  
दिनांक/Date : 13<sup>th</sup> Aug - 2007  
फेक्स सं/Fax No: 080-25230856

  
(बी.एस.वेदप्रकाश /B.S. VEDAPRAKASH)  
स्थानापन्न मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/  
Ofgg. Chief Executive (Airworthiness)

13/8/07

FL16  
A  
B  
C